बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

संचिका सं०–अ०सां०नि०/स्था०2–01/2023- 1667 /पटना, दिनांक 22/09/23

संकल्प

विषयः– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार, पटना के अन्तर्गत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के पूर्व से स्वीकृत 179 पदों के अतिरिक्त नगर निगम, नगर परिषद, रान्यास निरीक्षणालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय (जीवनांक एवं कृषि) स्तर पर अवर सांख्यिकी संवर्ग के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के 158 नये पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के सभी संबंधित विभागों से समन्वय एवं सभी जिलों में विभिन्न विषय पर आँकड़ों का संग्रहण, संकलन, टेबुलेशन, विश्लेषण, प्रतिवेदन लेखन एवं प्रकाशन के साथ कालबद्ध केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं गणना कार्यो के क्रियान्वयन के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना गठित एवं कार्यरत है।

2. कृषि सांख्यिकी अन्तर्गत राज्य के कृषि उत्पादन आँकड़ों के लिए फसल क्षेत्रफल के आँकड़ें और उनकी उपज दर, फसलों की क्षेत्रफल की पूर्ण परिगणना कृषि वर्ष जुलाई से जून के दौरान प्रत्येक मौसम के लिए निकाले जाते है। जिला स्तर पर कृषि सांख्यिकी को सुदृढ़ करने हेतु कुल–22 पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त कार्यो के सतत् क्रियान्वयन एवं महत्ता को देखते हुये जीवनांक के पद सृजित नहीं रहने के कारण नवसृजित 12 जिलों में समरूप पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त 12 जिला सांख्यिकी कार्यालय में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जीवनांक के एक–एक अर्थात् कुल–12 पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है!

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–232 दिनांक–24.02.2023 द्वारा बिहार के सभी नगर निगम/नगर परिषदों में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारियों को रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार के निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के कुल 19 नगर निगम एवं 88 नगर परिषद् में एक–एक सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद अर्थात् कुल–107 पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्य सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश में 17 सांख्यिकी निरीक्षणालय द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। आँकड़ों की गुणवत्ता हेतु प्रत्येक निरीक्षणालयों के लिये एक–एक अर्थात कुल–17 (सत्तरह) सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (रान्यास) का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है।

3. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय अंतर्गत वर्त्तमान में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के कुल 179 पद पूर्व से सृजित है। सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं सांख्यिकी कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के पूर्व से सृजित 179 पदों के अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक नगर निगम (19 पद), नगर परिषद (88 पद), प्रत्येक रान्यास निरीक्षणालय स्तर पर 17 पद एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय (जीवनांक एवं कृषि) स्तर पर

(12 पद एवं 22 पद) अर्थात् कुल (19+88+17+12+22 = 158 पद) सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के नये पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, **जिसकी विस्तृत सूची परिशिष्ट–1 ('क से घ' तक) के रूप में संलग्न है।**

4. नये पदों के सृजन पर प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय 13,62,76,896/–(तेरह करोड़ बासठ लाख छिहतर हजार आठ सौ छियानबे रुपये) होगा। इस राशि का व्यय मांग संख्या–35 के अन्तर्गत इन पदों पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्य शीर्ष–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघुशीर्ष 205–राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी, उपशीर्ष 0005–राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा **(परिशिष्ट–2 संलग्न)।**

5. उपर्युक्त राशि की निकासी संलग्न सूची के आधार पर संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे **(परिशिष्ट–3 संलग्न)।**

6. इस प्रस्ताव पर दिनांक 05.09.2023 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

<u>आदेश</u> :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/9/23

(अरूनीश चावला)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०2–01/2023 – 1667 /पटना, दिनांक– 22/09/23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/23

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०2–01/2023 – 1667 /पटना, दिनांक– 22/09/23

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

20/9/23

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०2–01/2023 – 1667 /पटना, दिनांक– 22/09/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–अ०सां०नि०/स्था०2–01/2023 – 1667 /पटना, दिनांक– 22/09/23

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव